23/9/25 प्रार्थी पेश की। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया तहसीलदार महोदय रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी उसमें आवागमन का रास्ता उपलब्ध है जिसमें प्रतिप्रार्थीगण उसमें आवागमन कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। और रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में आगे की कार्यवाही ड्रोप बन्द करवायी जाने का कहा गया। पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें आने जाने का रास्ता उपलब्ध है। तहसीलदार रायपुर के मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नियमानुसार हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर